रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)-128 REGISTERED NO. D—(DN) 128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 1987 (श्रावण 17, 1909)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1987 (SRAVANA 17, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

		पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1	—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	571
भाग I—खण्ड 2	—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	919
भाग I—खण्ड 3	—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4	—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1061
भाग II—खण्ड 1	—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1	—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2	—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3	—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3	—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3	—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4	—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1	—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	7137
भाग III—खण्ड 2	—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	901
भाग III—खण्ड 3	—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4	—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2929
भाग IV—	गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	111
भाग V—	अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	571
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	919
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1061
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7137
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	901
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2929
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	111
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1987

सं० 49-प्रेज/87—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री लाजपाल सिंह
पुलिस उप अधीक्षक
सुल्तानपुर लोधी,
जिला : कपूरथला।

श्री बीर सिंह (मरणोपरांत)
पुलिस उप निरीक्षक (सं० 42/जे०)
सुल्तानपुर लोधी,
जिला : कपूरथला।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

10 जनवरी, 1986 को "अमावस" के मौके पर सुल्तानपुर लोधी स्थित बेर साहिब गुरुद्वारे के दीवान में बहुत लोग जमा थे। श्री लाजपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक को सूचना मिली कि श्री सुखदेव सिंह, निवासी गांव मान्ड बहम्णियां, पुलिस स्टेशन शाहकोट, जिला जालन्धर, जिन्होंने दीवान में भाषण दिया था, को चार उग्रवादियों द्वारा स्टेनगनों और रिवाल्वरों से हत्या कर दी गई और उग्रवादी बचकर भाग गये। सूचना मिलने पर, श्री लाजपाल सिंह तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। गुरुद्वारे में बहुत अशांति थी और घटना तथा अभियुक्तों के बारे में कोई बतलाना नहीं चाहता था। एक महिला कांस्टेबल ने, जो सादे कपड़ों में वहां उपस्थित थी, अभियुक्तों की पहचान बताई और कहा कि अभियुक्त बाई नदी को पार करके गांव मियानी की तरफ भाग गये। इसी दौरान उप निरीक्षक बीर सिंह 6 कांस्टेबलों, एक सहायक उप निरीक्षक तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। श्री लाजपाल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक अधिकारियों और जवानों के साथ गांव बुसोवाल पहुंचे और सहायक उप-निरीक्षक को अभियुक्तों को ब्यास नदी की ओर से घेर लेने का आदेश दिया। वे स्वयं गांव मियानी की तरफ गये और उप निरीक्षक बीर सिंह को लाटवाला गांव की ओर बढ़ने के लिये कहा जहां अभियुक्तों को भागते हुए देखा गया था। गांव लाटवाला के पास गेहूं के खेत में छिपे अभियुक्तों को पुलिस दल ने घेर लिया। जब उन्हें आत्म-समर्पण करने का आदेश दिया गया तो उन्होंने पुलिस दल पर स्टेनगनों से गोलियां चलाईं। पुलिस ने भी आत्म सुरक्षा में जवाबी गोली चलाई। भारी गोली-बारी के परिणाम-स्वरूप एक उग्रवादी मारा गया। परन्तु अन्य तीन उग्रवादी पुलिस दल पर लगातार आक्रमण करते रहे। खेत से अपराधी गांव पिथोरा-हाल के ट्यूब वैल के कमरे में घुस गए और कमरे के अन्दर से गोलियां चलानी शुरू कर दीं परन्तु शीघ्र ही उन्होंने समझ लिया कि वे घिर चुके हैं और तदनुसार उन्होंने अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक अपराधी को बाद में गांव बुन्डाला, जिला अमृतसर के लखा सिंह के रूप में पहचाना गया। अपराधियों से 9 एम० एम० कारतूसों के 4 मैगजीनों सहित 2 स्टेनगन तथा 14 कारतूसों समेत दो .455 बोर के रिवाल्वर बरामद किये गये। इस मुठभेड़ में, श्री लाजपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक तथा श्री बीर सिंह, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 जनवरी, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 50-प्रेज/87—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री जे० पी० भिरदी,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,
गुरदासपुर।

श्री स्वर्ण सिंह,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
(नं० 486/एच० पी० आर०)
थाना : धारीवाल, गुरदासपुर।

श्री मनमोहन सिंह,
हैड कांस्टेबल (नं० 1539),
थाना : धारीवाल, गुरदासपुर।

श्री निशान सिंह,
हैड कांस्टेबल (नं० 1734),
थाना : धारीवाल : गुरदासपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

3 फरवरी, 1986 के अपराह्न में श्री जे० पी० बिरदी, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक को सूचना मिली कि एक घोषित अपराधी गांव-डनेवाली, पुलिस स्टेशन-धारीवाल के सुच्चा सिंह के डेरे में एक निर्जन स्थान पर ठहरा हुआ है। उन्होंने निकट के पुलिस स्टेशनों के थानेदारों को तुरन्त अपने बलों को डेरा पहुंचने तथा बाहिरी परिधि का घेरा डालने के लिये निदेश दिया। वे जिला पुलिस तथा अर्द्ध-सैनिक बल के साथ डेरा की सीमा पर पहुंचे और क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद बल को चार दलों में बांट दिया। अपने दल के लोगों को कार्य योजना की संक्षिप्त हिदायतें देने के बाद उन्होंने उन्हें चारों तरफ तैनात कर दिया और अपने साथ कुछ कमाण्डो प्रकार के पुलिस कार्मिकों को लिया तथा उन्हें छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ने के लिये रणनीति समझाई। पुलिस सहायक उप-निरीक्षक स्वर्ण सिंह को डेरा के आस पास के छप्परों की जांच करने का निदेश दिया गया। इन कोठों में छिपे हुए एक आततायी ने श्री स्वर्ण सिंह पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। श्री बिरदी निर्भीकता से तुरन्त आततायी के छिपे हुए स्थान की ओर बढ़े तथा उसे आत्म-समर्पण करने के लिये चेतावनी दी लेकिन अपराधी पुलिस दल पर गोली-बारी करता रहा। पुलिस दल ने भी जवाब में गोली चलाई। श्री स्वर्ण सिंह को उपचार के लिये अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद हैड कांस्टेबल मनमोहन सिंह तथा हैड कांस्टेबल निशान सिंह को मिट्टी के बने घरों में जाने का निदेश दिया गया जहां से अपराधी गोलियां चला रहा था। इतने में अपराधी ने पुलिस दल पर एक हथ-गोला फेंका जिससे दोनों हैड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गये। तुरन्त दोनों हैड कांस्टेबलों को उपचार के लिये सिविल अस्पताल गुरुदासपुर ले जाया गया। जब अंधेरा हो रहा था, श्री बिरदी ने एक योजना बनाई। उन्होंने मिट्टी के घर की छत में एक छेद किया तथा वहां से पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। अपराधी ने नलकूप के कमरे में प्रवेश किया और वहां से पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी। श्री बिरदी उक्त कमरे की छत पर चढ़ गए तथा वहां से एक छेद किया और उसके जरिए एक गैस सेल छोड़ा जिसने अपराधी को अपनी सुरक्षा के लिये भागने पर बाध्य कर दिया। अपराधी तथा पुलिस दल के बीच गोली-बारी हुई और इसके परिणाम स्वरूप अपराधी घातक रूप से घायल हो गया और मर गया। मृत अपराधी से सक्रिय तथा खाली कारतूसों सहित एक .303 राइफल, काफी मात्रा में कारतूसों सहित एक .12 बोर गन और दो हथगोले बरामद किये गये।

इस मुठभेड़ में, श्री जे० पी० बिरदी, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, श्री स्वर्ण सिंह, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक, श्री मनमोहन सिंह, हैड कांस्टेबल तथा श्री निशान सिंह, हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 फरवरी, 1986 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 1987

संकल्प

सं० का० 4(1)/87-हिन्दी- संसदीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 4(1)/85-हिन्दी दिनांक 4-9-1985, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा अधिसूचित संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर, भारत सरकार ने संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करने का निश्चय किया है।

1. समिति का गठन:--इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :--

सरकारी सदस्य

1.	संसदीय कार्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	संसदीय कार्य राज्य मंत्री (लोक सभा)	उपाध्यक्ष
3.	संसदीय कार्य राज्य मंत्री (राज्य सभा)	सदस्य
4.	सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
7.	उप सचिव (विधायी) संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
8.	उप सचिव (प्रशासन) संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य सचिव

गैर सरकारी सदस्य

(क) संसद सदस्य

9.	श्री उमा कान्त मिश्र सदस्य, लोक सभा	सदस्य
10.	श्रीमती किशोरी सिन्हा सदस्य, लोक सभा	सदस्य
11.	श्री मुख्तियार सिंह मलिक सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
12.	श्री अश्विनी कुमार सदस्य, राज्य सभा	सदस्य

13.	श्री जे० चोक्काराव सदस्य, लोक सभा (सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति)	सदस्य
14.	डा० बल्लमपुरी जान सदस्य, राज्य सभा (सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति)	सदस्य

(ख) विभिन्न हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि

15.	श्री सुधाकर पाण्डेय (भूतपूर्व सांसद) प्रधान मंत्री, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी	सदस्य
16.	सचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।	सदस्य
17.	सचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास।	सदस्य
18.	सचिव, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा (महाराष्ट्र)।	सदस्य
19.	प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य
20.	श्री प्रभात शास्त्री, प्रधान मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद।	सदस्य
21.	आचार्य राधा गोविन्द पोंडाग प्रचार मंत्री व सम्पादक, मणिपुर हिन्दी परिषद्, एसेम्बली रोड़, इम्फाल–795001	सदस्य

(ग) अन्य गैर-सरकारी सदस्य

22.	श्री रामावतार शास्त्री, भूतपूर्व सांसद, एम० एल० ए० फ्लेट नं० 113, पटना–800001	सदस्य
23.	श्री विलट पासवान शास्त्री प्राध्यापक, बी० एन० कालेज, पटना (बिहार)।	सदस्य
24.	डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद हिन्दी विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश)।	सदस्य
25.	श्री श्रीधर मिश्र, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, खालसा कालेज, बम्बई।	सदस्य
26.	पं० सदा शिव रथ शर्मा एट एण्ड पोस्ट–पुरी, जिलापुरी (उड़ीसा)।	सदस्य

2. कार्य

इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना होगी।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ही होगा।

बशर्ते कि:—

(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहते ही, वह इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिनके कारण वह समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य केवल शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

4. सामान्य

(1) समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्यों को सह-योजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते :—

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की और उसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निश्चित दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति-सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय मंत्रिमण्डल सचिवालय लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय नई दिल्ली को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

देवराज तिवारी, उप सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग

तकनीकी विकास महानिदेशालय

(रिफेक्ट्री निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 1987

संकल्प

सं० आर० ई० एफ०/4(4)/86—भारत सरकार के समसंख्यक संकल्प दिनांक 9-9-86 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित को रिफेक्ट्री उद्योग विकास सामिका का सदस्य के रूप में और नामित करने का निर्णय किया गया है।

श्री एन० आर० श्रीनिवासन,
परामर्शदाता,
63, सिद्धार्थ इनक्लेव,
नई दिल्ली–110014

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक, 14 जुलाई 1987

संकल्प

सं० डी० पी० आई०-11(245)/86/333--चीनी मिल और पेपर मिल मशीनरी में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की आवश्यकता को देखते हुए और दोनों उद्योगों के समाकलन के लिए मुख्यतः इन दोनों उद्योगों में पेपर निर्माण में बगासी के प्रयोग और परिणामित लाभ की दृष्टि से भारत सरकार ने इस संकल्प की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए नीचे लिखे अनुसार एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

2. तकनीकी समिति की विचाराधीन शर्तें निम्न होंगी :--
अनुबंध "ख" देखें

3. तकनीकी समिति का गठन निम्नलिखित होगा :--
अनुबंध "क" देखें

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० नील कंठम, निदेशक (प्रशासन)

अनुबंध--"क"

तकनीकी समिति संगठन

1.	श्री आर० एन० बसु, उप महानिदेशक तकनीकी विकास महानिदेशालय	अध्यक्ष
2.	डा० एम० एम० मूर्ति, सलाहकार रसायन और पैट्रो रसायन मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री जी० एम० वर्धमान इलेक्ट्रानिक्स विभाग	सदस्य
4.	खाद्य विभाग के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5.	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग संस्थान, पिलानी का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	टी० एम० पी० एल० के श्री विश्वानाथम	सदस्य
7.	श्री एम० सी० जैन सर्वश्री स्ट्रा प्रोडक्ट्स	सदस्य
8.	जोसफ एण्ड कम्पनी लि० के एक प्रतिनिधि	सदस्य
9.	ईस्टर्न पेपर मिल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	अध्यक्ष, अखिल भारतीय लघु पेपर मिल्स संगठन	सदस्य
11.	श्री के० एन० शुक्ला बालचन्दनगर इण्डस्ट्रीज	सदस्य
12.	बचाऊवुल्फ, पुने का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13.	श्री दहिया भाई पटेल, बोर डोली सूगर	सदस्य
14.	श्री बी० के० गोयल धामपुर सूगर मिल्स	सदस्य
15.	श्री याईदूर आनंद सूगर इण्डस्ट्रीज कन्सलटेन्ट बंगलूर।	सदस्य
16.	सेश्री पी० जे० मसोहूर राव नेशनल फैडरेशन ऑफ को-आपरेटिव सूगर फैक्ट्री लि०, नई दिल्ली।	सदस्य
17.	श्री ए० नरसिम्हा राव औद्योगिक सलाहकार तकनीकी विकास महानिदेशालय	सदस्य सचिव

अनुबंध--"ख"

तकनीकी समिति की विचाराधीन शर्तें

(1) अभिकल्पन में प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति, फैबरिकेशन, पेपर की पूर्ति और चीनी मिलों की मशीनरी की जांच और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए विशेषकर उत्पादन, ऊर्जा बचत, लागत में कमी क्षेत्रों में, उपायों का सुझाव देना। अध्ययन क्षेत्र में कम से कम लागत नाप के व्यक्तिगत संयंत्र और कुल परियोजना और क्षमता का वांछित स्तर सम्मिलित होना चाहिए।

(2) संसार में पूंजी पदार्थ कम में हो रहे हैं विभिन्न विकास की जांच करना और ऐसे क्षेत्रों में सिफारिश करना जहां विदेशी या विकसित देशी प्रौद्योगिकी को विशिष्ट संगठनों में शामिल किया जा सकता है।

(3) यह जांच करना कि पेपर और चीनी उद्योग में सुधरे संयंत्र के सम्मिलित करने से यह कुल परियोजना लागत में कमी, अच्छी किफायतें, अच्छा उत्पाद और सह उत्पाद के प्रयोग आदि से यह किस प्रकार सहायक है।

(4) चीनी और पेपर उद्योग के समाकलन की उपयुक्तता की जांच करना और ऐसी शर्तें बताना जिनके अंतर्गत ऐसे समाकलन वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस और सरकार की क्षेत्रीय योजना के ढांचे में व्यवहारिक है अन्यथा ऐसे कौन से समायोजन हैं जो समाकलन की वर्तमान योजनाओं पर प्रभावित हैं।

(5) चीनी, पेपर, ऐल्कोहल और कैमिकल कम्पलेक्सों को स्थापित करने की उपयुक्तता की जांच करना और ऐसे कम्पलेक्सों को स्थापित करने के लाभ बताना।

(6) पेपर उत्पादन में बगासी के प्रयोग को बढ़ाने के रास्ते और साधनों की जांच, इस अध्ययन में चीनी मिलों में बगासी का एवजी विपरीत ईंधन के साथ और चीनी मिल में बगासी अपशेष पर सुधरी प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है।

(7) ऊपर बताए गए विचारों पर संबंधित एजेंसियों/विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें देना।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 1987

सं० 14/11/86-समिति--इस कार्यालय की राजपत्रित अधिसूचना सं० यही, दिनांक 22 जुलाई, 1986 के क्रम में जनसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि डा० अशोक जैन, निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली की समन्वय परिषद, सूचना विज्ञान दल के अध्यक्ष के रूप में कार्यविधि 21 जून, 1988 तक बढ़ा दी गई है। परिणामस्वरूप वह इस तारीख तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा और सोसायटी के सदस्य बने रहेंगे।

अशेष प्रसाद मित्र,
भारत सरकार के सचिव,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
तथा महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली-110001

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1987

सं० 18/85-एल० डी०-1--राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के नियम और विनियम के अनुच्छेद 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि 1-7-1987 से एक वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में मनोनीत करती है :--

1.	डा० वी० कुरियन अध्यक्ष भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा।	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, प्रभारी, डेरी विकास, कृषि एवं सहकारिता विभाग	सदस्य
3.	श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासारामानुजम वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं सहकरिता विभाग	
4.	डा० आई० जेड० भट्टी, महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	डा० आर० पी० अनेजा, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय डेरी निगम, बड़ौदा-390005।	सदस्य
6.	डा० (कुमारी) ए० पटेल, सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द-388001।	सदस्य

के० जी० कृष्णा मूर्ति, उप सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 1987

सं० डब्ल्यू० 11011/1/80-अनुदान (वाल्यूम V)--इस मंत्रालय की तारीख 7 अक्तूबर 1986 की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू 11011/1/80-अनुदान (वाल्यूम-IV) के क्रम में भारत सरकार की वर्तमान समिति का कार्यकाल 1 नवम्बर 86 से 30 सितम्बर 1987 तक की अवधि के लिए और बढ़ाने का निर्णय किया गया है, जिसकी संरचना इस प्रकार है :—

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
डा० गोविन्द दास रिछारिया संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
डा० पी० वल्लाल पेरुमान संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
श्री एस० एम० शाह	सदस्य
डा० वत्सला सामन्त	सदस्य
श्री जी० बी० माने	सदस्य
श्रीमती रेणुका अप्पादुरै	सदस्य
डा० एम० पी० केशवमूर्ति	सदस्य
श्री कर्मचन्द शेनमार	सदस्य
श्री स्वप्न साधन बोस	सदस्य
सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य

स्वास्थ्य मंत्रालय में अनुदान से संबंधित संयुक्त सदस्य सचिव

2. गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सम्बन्धी खर्च मांग संख्या-37 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मुख्य शीर्ष-2251-ए-1 सचिवालय ए० 1 (1) स्वास्थ्य विभाग ए 1 (1)(3) यात्रा खर्च से पूरा किया जाएगा।

3. 9 मार्च, 1984 की अधिसूचना में निहित समिति संबंधी सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

एन० एस० बक्शी, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th July 1987

No. 49-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Lajpal Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Sultanpur Lodhi,
District Kapurthala.

Shri Bir Singh, (*Posthumous*)
Sub-Inspector of Police,
(No. 42/J), Sultanpur Lodhi,
District Kapurthala.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 10th January, 1986, on the occasion of 'Amavas', there was a big congregation present at Gurudwara Ber Sahib Sultanpur Lodhi in a Dewan. Shri Lajpal Singh, Deputy Superintendent of Police received information that Shri Sukhdev Singh, resident of village Mand Bahmanian, Police Station, Shahkot, District Jalandhar, who had addressed the Dewan, had been killed by four extremists with stenguns and revolvers and that the extremists had escaped. On receipt of the information, Shri Lajpal Singh rushed towards the scene of crime. There was a great confusion at the Gurudwara and everybody was reluctant to tell about the incident and the accused persons. One lady Constable, who was present there in civil dress, revealed the identity of the accused and stated that the accused fled towards village Miani crossing Beas river. In the meantime Sub-Inspector Bir Singh, alongwith 6 Constables, one Assistant Sub-Inspector of Police and a Section of Central Reserve Police Force also reached the spot. Shri Lajpal Singh, Deputy Superintendent of Police, alongwith officers and men reached village Bussowal and ordered the Assistant Sub-Inspector to encircle the accused from the side of the river Beas. He himself went towards village Miani and asked Sub-Inspector Bir Singh to proceed towards village Latwala, where the accused were seen running. The accused, who were hiding in a wheat field near village Latwala, were encircled by the Police party. When ordered to surrender, the culprits opened fire at the Police party with stenguns. The Police party returned fire in self defence. As a result of heavy firing one extremist was shot dead but the other three continued their assault on the Police party. From the field these accused entered a tubewell room of village Pithorahal and started firing from inside the room but soon they realised that they had been surrounded and accordingly they surrendered to the Police. The dead criminal was later

identified as Lakha Singh of village Bundala, District Amritsar. Two stenguns with 4 magazines of 9 mm cartridges and two .455 bore revolvers with 14 cartridges were recoverd from the criminals.

In this encounter, Shri Lajpal Singh, Deputy Superintendent of Police and Shri Bir Singh, Sub-Inspector of Police, displayed exemplary courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th January, 1986.

No. 50-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and rank of the officers

Shri J. P. Birdi,
Senior Superintendent of Police,
Gurdaspur.

Shri Swaran Singh,
Asstt. Sub-Inspector of Police (No. 486/HPR),
Police Station Dhariwal, Gurdaspur.

Shri Manmohan Singh,
Head Constable (No. 1539),
Police Station Dhariwal, Gurdaspur.

Shri Nishan Singh,
Head Constable (No. 1734),
Police Station Dhariwal, Gurdaspur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the afternoon of 3rd February, 1986, Shri J. P. Birdi, Senior Superintendent of Police, received information that a proclaimed offender was staying at a secluded place in the Dera of Sucha Singh of village Danewali, Police Station Dhariwal. He immediately directed the SHOs of the adjoining Police Stations to rush their force towards the Dera and close in on its outer perimeter. He, alongwith the District Police and Para-military force, reached the out-skirts of the Dera and after conducting survey of the area divided the force into four parties. After briefing them about the operational plan, he deployed them on all the four sides and himself picked up some commando type Police officials and explained them the strategy to flush out the hiding terrorist. Assistant Sub-Inspector Sawarn Singh was directed to check the thatched enclosures of the Dera. The desperado, who was hiding in one of these Kothas, hurled a volley of bullets at Shri Swaran Singh, who received serious bullet injuries. Shri Birdi immediately, made a total advance towards the place of hiding of the desperado, and warned him to surrender but he continued to fire at the Police party. The Police party also returned the fire. Shri Swaran Singh was removed to hospital for treatment. Thereafter, Head Constables Manmohan Singh and Nishan Singh were directed to enter the mud-house from where the criminal was firing. At this, the criminal lobbed a hand-grenade at the Police party and the two Head Constables were seriously injured. Both the Head Constables were rushed to Civil Hospital, Gurdaspur for treatment. When it was getting dark, Shri Birdi thought of a plan and himself made a hole in the roof of the Mud-house, sprinkled petrol and thereafter lit the fire. The criminal moved to the tube-well room and started firing on the Police party from there. Shri Birdi climbed up the roof of that room made a hole there through which a gas shell was fired forcing the criminal to run for safety. The exchange of fire between the criminal and the Police party continued and as a result of this, the criminal was hit fatally and fell down dead. One 0.303 rifle with live cartridges and empties, one 12 bore gun with sizeable number of cartridges and two hand-grenades, were recovered from the dead body of the criminal.

In this incident Shri J. P. Birdi, Senior Superintendent of Police, Shri Swaran Singh, Assistant Sub-Inspector, Shri Manmohan Singh, Head Constable and Shri Nishan Singh Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage, and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd February, 1986.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 14th July 1987

RESOLUTION

No. F.4(1)/87-Hindi.—On expiry of tenure of Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Parliamentary Affairs Notified vide this Ministry's Notification No. 4(1)/85-Hindi dated 4-9-85, as amended from time to time, Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned below :—

1. *Composition of the Committee* : The following will be the Members of the Committee :—

Official Members

Chairman

1. Ministry of Parliamentary Affairs.

Vice-Chairman

2. Minister of State for Parliamentary Affairs. (Lok Sabha).

Members

3. Minister of State for Parliamentary Affairs. (Rajya Sabha).
4. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs. Hindi Advisor to the Govt. of India.
5. Secretary, Deptt. of Official Language and
6. Joint Secretary, Deptt. of Official Language. Ministry of Parliamentary Affairs.
7. Deputy Secretary (Leg.),

Member-Secretary

8. Deputy Secretary (Admn.), Ministry of Parliamentary Affairs.

Non-Official Members

(a) *Members of Parliament*

Members

9. Shri Umakant Mishra, Member, Lok Sabha.
10. Smt. Kishori Sinha, Member, Lok Sabha.
11. Shri Mukhtiar Singh Malik, Member, Rajya Sabha.
12. Shri Ashwini Kumar, Member, Rajya Sabha.
13. Shri J. Choka Rao, Member, Lok Sabha, (Member, Parliamentary Committee on Official Language).
14. Dr. Vallampuri John, Member, Rajya Sabha, (Member, Parliamentary Committee on Official Language).

(b) *Representatives of various Hindi Institutions*

Members

15. Shri Sudhakar Pandey (ex-MP), Secretary General, Nagari Pracharin Sabha, Varanasi (U.P.).
16. Secretary, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Hyderabad (A.P.).
17. Secretary, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras (Tamil Nadu).

18. Secretary,
Rashtra Bhasha Prachar Samiti,
Vardha (Maharashtra).

19. President,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
New Delhi.

20. Shri Prabhat Shastri,
General Secretary,
Hindi Sahitya Sammelan,
Allahabad (U.P.).

21. Acharya Radha Govind Pondag,
Publicity Secretary and Editor,
Manipur Hindi Parishad, Assembly Road,
Imphal-795001.

(c) *Other Non-Official Members*

Members

22. Shri Ramavatar Shastri, ex M.P.,
MLA Flat No. 113,
Patna-800 001.

23. Shri Bilat Paswan Shastri,
Lecturer,
B. N. College,
Patna (Bihar).

24. Dr. Y. Laxmi Prasad,
Hindi Department,
Andhra University,
Vishakhapattanam (A.P.),

25. Shri Sridhar Mishra,
Head, Hindi Department,
Khalsa College,
Bombay.

26. Pandit Sada Shiv Rath Sharma,
At & Port : Puri,
District Puri (Orissa).

2. *Functions*

The work of this committee will be to advise on matters relating to the progressive use of Hindi in official use in the Ministry of Parliamentary Affairs and implementation of policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language).

3. *Tenure of Office*

Tenure of office of the Committee will be for a period of three years from the date of issue of the Notification.

Provided that :

(a) Any Member who is Member of Parliament, on ceasing to be a Member of Parliament, will cease to be a Member of this Committee also.

(b) *Ex-Officio* Members of the Committee will continue to be Member till they held the post, by virtue of which they are Members of the Committee.

(c) If any vacancy is caused on the Committee due to resignation or death etc. of any Member, the Member appointed in his place, will be Member of the committee for remaining period.

4. *General*

(1) Considering it necessary the Committee, can associate additional Member and can invite specialists to attend its meetings.

(2) Head Office of the Committee will be in New Delhi but Committee can held its meeting at any other place also.

5. *TA and other allowances*

The Non-Official Members shall be paid TA & DA, for attending the meetings of the Committee and its Sub-Committees, at the rates fixed by the Government.

ORDER

It is ORDERED that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories' Administrations. All Ministries and Departments of the Government of India, President's Secty., Prime Minister's Office, Cabinet Secty., Lok/Rajya Sabha Secty., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India; and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ORDERED that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

D. R. TIWARI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

REFRACTORY DIRECTORATE

New Delhi, the 1st July 1987

RESOLUTION

No. Ref. 4(4)/86.—In partial modification of Government of India Resolution of even number dated 9-9-1986, it has been decided to further nominate the following person as a Member of the Development Panel on Refractory Industry :

Shri N. R. Srinivasan,
Consultant,
63, Siddhartha Enclave,
NEW DELHI-110 014.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 14th July 1987

RESOLUTION

No. DPI-II(245)/86/333.—In view of the need for upgradation of technology in sugar mill and paper mill machinery and for integrating these two industries mainly with a view to utilising bagasse for paper manufacture with the resultant advantages to both the industries, Government of India have decided to set up a Technical Committee with the following composition for a period of one year w.e.f. the date of this resolution.

2. The terms of reference of the Technical Committee will be as under :—

See Annexure 'B'

3. The composition of the Technical Committee will be as under :—

See Annexure 'A'

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. NEELAKANTAN, Dir. (Admn.)

ANNEXURE 'A'

Composition of the Technical Committee

Chairman

1. Shri R. N. Basu, Deputy Director General,

Members

2. Dr. M. S. Murthy, Adviser,
Ministry of Chemicals and Petro Chemicals.

3. Shri G. S. Varadhan,
Department of Electronics.

4. Two representatives of Department of Food.

5. A representative of Central Electronic Engineering Research Institute, Pilani.

6. Shri S. Vishwanathan of TNPL.

7. Shri S. C. Jain, M/s Straw Products.

8. A representative of M/s Jessops & Co. Ltd.

9. A representative of M/s Eastern Paper Mills.

10. President of All India Small Paper Mills Association.

11. Shri K. N. Shukla, M/s Walchandnagar Industries.

12. A representative of Bachauwolf, Pune.
13. Shri Dahia Bhai Patel, Bordoli Sugar.
14. Shri V. K. Goel, Dhampur Sugar Mills.
15. Shri Mydur Anand, Sugar Industry Consultant, Bangalore.
16. Shri P. J. Manohar Rao of M/s National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., New Delhi.

Member-Secretary

17. Shri A. Narasimha Road, Industrial Adviser, D.G.T.D.

ANNEXURE 'B'

Terms of reference of the Technical Committee

(i) To examine the present state of technology in the design, fabrication and supply of paper and sugar mill machinery and to suggest measures for upgrading the technology in this sector particularly in the areas of productivity, energy saving and cost reduction. The study should include the minimum economic sizes of individual equipment as well as the total project and also the desirable levels of capacity.

(ii) To examine the various advances taking place in the capital goods sector the world over and to recommend the areas where the relevant technologies could be inducted from abroad or developed indigenously in specified organisations.

(iii) To examine how incorporation of the improved equipment in the paper and sugar industries would help by way of reducation in the total project cost, better economies, better yields, conservation of energy, generation and utilisation of bye-products etc.

(iv) To examine the feasibility of integrating sugar and paper industry and to specify the conditions under which such integration would be practicable within the existing frame-work of industrial licensing and fiscal policies of the Government; otherwise what adjustments are required to be affected in the existing policies to realise such integration.

(v) To examine the feasibility of setting up of sugar, paper, alcohol and chemical complexes and bring out the advantages in the setting up of such complex.

(vi) To examine ways and means of increasing, utilisation of bagasse for paper manufacture, this study would include substitution of bagasse with alternate fuel in the sugar mills and rendering bagasse surplus by using improved technologies in sugar mills.

(vii) To formulate suitable recommendations on the above aspects for necessary action by the concerned agencies/Departments.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi, the 1st July 1987

No. 14/11/86-CTE.—Further to this office Gazette Notification of even number dated 22nd July, 1986 it is notified for general information that the term of Chairmanship of the Coordination Council for Information Sciences Group of Dr. Ashok Jain, Director, National Institute of Science, Technology and Development Studies, New Delhi has been extended upto 21st June, 1988. Consequently, he will continue to be member of the Governing Body and the Society of CSIR till that date.

A. P. MITRA, Secy.
Department of Scientific and Industrial Research and Director General Scientific & Industrial Research,

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi-110 001, the 26th June 1987

No. 18-6/85-LD.I.—In exercise of powers conferred by Article 2(a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board, the Government of India have decided to nominate for a period of one year with effect from 1st July, 1987 or until further orders, whichever is earlier, the following persons as Members of the National Dairy Development Board :—

Chairman

(1) Dr. V. Kurien, Chairman, National Dairy Development Board, ANAND-388 001.

Members

(2) Additional Secretary in charge of Dairy Development in the Deptt. of Agri. & Coopn.

(3) Shri T. C. A. Srinivasaramanujan, Financial Adviser (A&C), Deptt. of Agri. & Coopn.

(4) Dr. I. Z. Bhatty, Director General, National Council of Applied Economic Research, New Delhi.

(5) Dr. R. P. Aneja, Managing Director, Indian Dairy Corporation, Baroda-390 005.

(6) Dr. (Miss) A. Patel, Secretary, National Dairy Development Board, Anand-388 001.

K. G. KRISHNA MOORTHY, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 16th July 1987

No. W.11011/1/80-Grants (Vol. V).—In continuation of this Ministry's Notification No. W.11011/1/80-Grants (Vol. IV) dated 7-10-1986 the Government of India have decided to extend the term of the present Committee whose composition is given below, for a further period from the 1st November 1986 to 30th September, 1987 :—

Chairman

Minister for Health & Family Welfare

Members

Dr. Govind Dass Richharia, M.P. (Rajya Sabha)
Dr. Vallal Peruman, MP (Lok Sabha)
Shri S. M. Shah
Dr. Vatsala Samant
Shri G. B. Mane
Mrs. Renuka Appadurai
Dr. M. P. Keshava Murthy
Shri Karam Chand Shenmar
Shri Swapan Sadhan Bose
Secretary, Ministry of Health & Family Welfare
Director General of Health Services

Member-Secretary

Joint Secretary concerned with Grants in the Ministry of Health & F.W.

2. The expenditure on TA/DA of non-official members will be met from Demand No. 37 Ministry of Health & Family Welfare Major Head '2251-A.I. Sectt.A.I.(1) Department of Health A.I.(1)(3)-Travel Expenses.

3. The other provisions relating to the Committee as contained in the Notification dated 9-3-1984 will remain unchanged.

N. S. BAKSHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987